न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्या:— 89 / 2024 तारीख रजू 15.10.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

शिवदयाल यादव पुत्र श्री बृजमोहन यादव निवासी जुवाड पोस्ट मुई जिला सवाई माधोपुर (दूध विक्रेता) शिवदयाल दूध वाला, जुवाड, पोस्ट मुई जिला सवाई माधोपुर मो.नं. 9413455309

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:—

दिनांक 04.06.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 09.05.2023 को 02.30 पी.एम. पर एक व्यक्ति जुवाड मार्ग से अपनी मोटरसाईकिल HF Deluxe वाहन सं0 आरजे 25 एसआर 0215 से चरे से बांध कर गुजर रहा था। आवेदक द्वारा वाहन को रूकवाकर स्वयं का परिचय दिया एवं मौके पर उपस्थित मोटरसाईकिल चालक ने अपना नाम शिवदयाल यादव पुत्र बृजमोहन यादव निवासी जुवाड जिला सवाईमाधोपुर का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित वाहन चालक से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर प्रस्तुत नहीं होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर मोटरसाईकिल पर बंधे चरे का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को Cow Milk (Loose) विक्रय हेतु ले जा रहा था। Cow Milk (Loose) में मिलावट का अंदेशा होने पर Cow Milk (Loose) 02 लीटर वजनी खरीदकर उसकी कीमत 80/— रूपये विक्रेता श्री शिवदयाल यादव को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर [illegible] श्री प्रेमराज गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स[illegible] कर विक्रेता एव गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर [illegible] जिसे श्री शिवदयाल या[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री बदयाल यादव को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 लीटर Cow Milk (Loose) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले देखाकर उक्त खरीदशुदा Cow Milk (Loose) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयर टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2876** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2876 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कॅवर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/828 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1962/एक्ट/2023/1984 दिनांक 31.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Cow Milk (Loose) **Substandard** होना पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एंव प्रकरण मे समय अवधि विस्तारित हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत अनुसंशा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) को अपने पत्रांक 730 दिनांक 30.07.2024 द्वारा भिजवाई गई। जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जन हित में प्रकरण को न्यायालय हाजा में पेश करने की समय सीमा दिनांक [illegible] जाने की अनुमति प्रदान की गई।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड Cow Milk (Loose) [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम [illegible] 2(ii) का

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्याय निर्णयन आवेदन का जबाव पेश किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड Cow Milk (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाव अनुसार बहस में तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की मोटरसाईकिल सं0 आरजे 25 एसआर 0215 पर लगी हुई चरी से दूध का सैम्पल लिया था जिसे लेब द्वारा दूध में फेट कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड माना है। अभियुक्त द्वारा जबाव अनुसार बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी शुद्ध दूध की सप्लाई करता है, सेम्पल में दूध में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, गाय का दूध अन्य दुधारू पशुओं के दूध से पतला होता है। गाय के दूध में अन्य दुधारू पशुओं की तुलना में फेट कम होने के कारण फेट कम आया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1962/एक्ट/2023/1984 दिनांक 31.05.2023 एवं रेफरल लेब मैसूर के सर्टिफिकेट नं. 390एफ/एफएसएसए/2024 दिनांक 17.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Cow Milk (Loose) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट में दूध में कोई त्रुटि नहीं पाई गई किन्तु दूध के फेट का प्रतिशत कम है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Cow Milk (Loose) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत [illegible] 5,000 रू0 (अक्षरे – पांच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरो[illegible] दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि [illegible] राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **04.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested